



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 1995/ज्येष्ठ 4, 1917

No. 88]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1995/JYAISTHA 4, 1917

कल्याण मंत्रालय

संकेत

नई दिल्ली, 24 मई, 1995

भारत के राजपत्र—प्रकाशण—भाग-1, खण्ड-1 संख्या 186, नई दिल्ली, सोमवार, 13 सितम्बर, 1993/22 भाद्र, 1915 में प्रकाशित की गई थी।

संख्या 12011/7/95-जी.सी.सी.—भारत सरकार ने कामिक, लोक शिवालय तथा पेयन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93—स्थापना (एन.सी.टी.) दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सिविल पर्यटन तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के पक्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है। इस कार्यालय ज्ञापन में यह भी विनिर्दिष्ट है कि प्रथम चरण में पिछड़े वर्गों के लिए उर्ध्वत आरक्षण के अंतर्गत से वे जातिगत समुदाय शामिल होंगे जो माइनर प्रयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों की अन्य पिछड़े वर्गों की दोहरी सूचियों में समात हैं।

2. चौदह राज्यों, अर्थात्, झारखंड प्रदेश, अंडर, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों को समात सूचियों की दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के उर्ध्वत कार्यालय ज्ञापन क्रियान्वयन के संदर्भ में कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93—जी.सी.सी. (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची के रूप में अधिपूचित की गई थी तथा

3. उक्त के बाद 4 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, शारद और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों को समात सूचियों की 8 सितम्बर, 1993 के उर्ध्वत कार्यालय ज्ञापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/9/94-जी.सी.सी. दिनांक 19 फरवरी, 1994 के द्वारा अधिपूचित कर दी गई थी और भारत के राजपत्र—प्रकाशण—भाग-1, खण्ड-1, संख्या 163, नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 20 फरवरी, 1994/प्राश्वन 28, 1916 में प्रकाशित की गई थी।

4. भारत सरकार ने अब जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित अन्य पिछड़े वर्गों को समात सूचियों तैयार की है तथा कामिक और प्रशिक्षण विभाग के 8 सितम्बर, 1993 के उर्ध्वत कार्यालय ज्ञापन के क्रियान्वयन के संदर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए इन तीन राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित अनुसूचित में दी गई समात सूचियों को अधिपूचित करने का निर्णय लिया है। ये सूचियां इन संलग्न के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए इस आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

भगवती प्रसाद, संयुक्त सचिव

आदेश

अनुबन्ध

निम्नलिखित तीन राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र से सम्बंधित अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) की केन्द्रीय सूची:

1. जम्मू और कश्मीर
2. मणिपुर
3. सिक्किम
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

राज्य : जम्मू और कश्मीर : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं.	अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित)	राज्य सूची में प्रविष्टि सं.	मंडल सूची में प्रविष्टि सं.
----------	--	------------------------------	-----------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बहाच हांजी तथा शिकारा वाला (हजिस्त बोट मालिकों को छोड़कर)	1	29
2.	बंगी, भंगी, चाकरोब } (स्वीपर) (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	7	6
3.	बारबर (केवल ग्रामीण)	8	28
4.	भांड	10	3
5.	दम्बाली फकीर	14	13
6.	डूम (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	15	16
7.	मल्लुधार, गडा हंज सहित	2	20
8.	शाली (केवल ग्रामीण)	20	25
9.	सोबर	19	31
10.	कुलफकीर	13	37
11.	कुम्हार, कुम्हार } (ग्रामीण भिट्टी के वर्तन बनाने वाले)	4	38
12.	मदारी, बाजीगर	12	41
13.	भिरासी	12	2
14.	सांसी	11	45
15.	शकसाक जूता	17	45
16.	जूता मरम्मत करने वाले (दरिद्र शहीनी सहसिता के कारखाने)	5	55
17.	मूपरी बरतल (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	6	46
18.	सिकलीगर	16	57
19.	सौली } (केवल ग्रामीण) तेली }	18	58
	सौली बगैरे होने वाले	21	62
		9	15

राज्य : मणिपुर : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं.	अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित)	राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या	मंडल सूची में प्रविष्टि सं.
----------	--	---------------------------------	-----------------------------

1	2	3	4
1.	दाधी (नेपाली), दमाई (नेपाली), मैने (नेपाली), कामी (नेपाली), तथा सरकी (नेपाली)	(जो मणिपुर में निवासा समुदाय के सदस्यों के रूप में 9 जुलाई, 1947 से रह रहे हैं तथा उनके वंशज)	4 4 4 4 4
2.	मैतेई/मीतेई (मैतेई ब्राह्मण, मैतेई/मीतेई सनाभाही तथा मैतेई राजकुमार सहित)		1
3.	मैतेई पंगाल		2
4.	तेली (जो मणिपुर में दस वर्षों से रह रहे हैं तथा उनके वंशज)		3

राज्य : सिक्किम : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं.	अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित)	राज्य सूची में प्रविष्टि संख्या	मंडल सूची में प्रविष्टि सं.
----------	--	---------------------------------	-----------------------------

1	2	3
1.	मुजेल	i
2.	मुखंग	ii
3.	लिम्बू (सोंग, मुल्बा, तथा यक्यंगवा सहित)	iii
4.	मंगेर	iv
5.	राई	vi
6.	सुनुवार (कोरबा/मुथिया सहित)	vii
7.	तर्गांग	

संघ राज्यक्षेत्र : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली : अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची

क्र. सं.	अन्य पिछड़े वर्गों की समान सूची में जातियों/समुदायों के नाम (उप-जातियों/पर्याय सहित)	संघ राज्य क्षेत्र की सूची में प्रविष्टि संख्या
----------	--	--

1	2	3
1.	शक्याली, भिजनी, सशका	1 1 1

2	3	4	1	2	3	4
2. अग्ररी, खरवाल	2 2	2 2	21. फकीर		21	30
3. अहीर, पादव, खाला	3 3 3	3 3 3	22. गडरिया, गधेरी, गद्दी, गरी		22 22 22 22	32 34 33 33
4. अरेन, राई, कुन्जड़ा	4 4 4	4 4 4	23. बलियारा, घोसी		23 23	35 36
5. बहई, बरही, बाबी, तरवान, जांगड़ा-अहिर, विश्वकर्मा	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	24. गुजर, गुर्जर		24 24	37 37
6. बावी	6	6	25. जोगी, गोस्वामी		25 25	42 42
7. बैरागी	7	7	26. जुवाहा (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)		26	43
8. बैरवा, बेरवा,	8 8	8 8	27. काछी, कोइरा, मुरई, मुराव		27 27 27 27	44 44 44 44
9. बारई, बारी, तम्बोली	9 9 9	10 11 10	28. कसाई, कस्माव, कुर्ची		28 28 28	49 49 49
10. बौरिया/बावरिया (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	10	12	29. कसेरा, तगेरा, ठ डियार		29 29 29	50 50 50
11. बाजीगर, बट, कलठर } (अनुसूचित जाति } वालों को छोड़कर)	11 11 13	13 13 13	30. खटगुने		30	53
12. भड़भुजा	12	16	31. खटेक (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)		31	54
13. भट	13	17	32. कुम्हार, प्रजापति		32 32	55 55
14. भटियारा	14	18	33. कुर्गी		33	56
15. बाक	15	19	34. लखेरा, मनिहार		34 34	58 58
16. बिण्डी, बीक, दुर्जा	16 16 16	21 21 26	35. लोधी, लोधा, लोघ, महा-लोघ		35 35 35 35	59 59 59 59
17. डकीत, परदे	17 17	25 25	36. लुहार, भूभलिया		36 36	60 14
18. धीवर, डीवर, निगाद, नेयर/मल्लाह (अनुसूचित जाति } वालों को छोड़कर), कहार, कडवा (शैर-बाह्य)	18 18 18 18 18 18	27 27 27 52 45 45	37. माची, मछेरा		37 37	61 61
19. धोवी (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)	19	28	38. माली, मैनी, मोथिया, सानारवंशी-माली, नायक		38 38 38 38 38	63 63 63 63 63
20. धुनिया, पिजारा, कंडरा-करव, धुतनेवाला	20 20 20 20	29 29 29 29	39. मेमार, राज		39 39	65 65
			40. मोना/मिणा		40	66
			41. मेराती, मिरासी		41 41	68 68
			42. मोची (अनुसूचित जाति वालों को छोड़कर)		42	69

**THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY**

1	2	3	4
43.	नाई, हुजूम, नाई (सबिता)	43	70
44.	मालवंद	44	71
45.	ननकाल	45	72
46.	पन्डे चारा	46	73
47.	पटवा	47	74
48.	पथर चैरा, संगतराज	48	75
49.	रंगोके	49	76
50.	सुगार	51	80
51.	तेली	52	82

context of implementation of the aforesaid Resolution, September, 1993 of the Department of Personnel. These lists shall take effect from the date of issue of the Resolution.

Bhagwati Parshad, Joint Secretary

**MINISTRY OF WELFARE**

Resolution

New Delhi, 24th May, 1995

No.12011/7/95—BCC—The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel and Training) O.M. No. 36012/22-93-Estt (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27 percent of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the Other Backward Classes (OBC's). This O.M. also specifies that the OBCs for the purpose of the aforesaid reservation would comprise, in the first phase, the castes/communities which are common to both the lists in the Report of the Mandal Commission and the State Governments, list of OBCs.

2. The common lists of OBCs in respect of 14 States, namely, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993, were notified as the Central List of OBCs in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated the 10th September, 1993 and published in the Gazette of India-Extraordinary-Part I, Section 1, No. 186, New Delhi, Monday, September 13, 1993/Bhadra 22, 1915.

3. Subsequently, the common lists of OBCs in respect of 4 States and 3 Union Territories, namely, Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Pondicherry were also notified in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/9/94-BCC dated the 19th October, 1994 for inclusion in the Central List of OBCs in the context of implementation of the aforesaid O.M. dated the 8th September, 1993 and published in the Gazette of India-Extraordinary—Part I Section 1, No. 163, New Delhi, Thursday October 20, 1994/Asvina 28, 1916.

4. The Government of India have now drawn up the common lists of OBCs in respect of the States of Jammu and Kashmir, Manipur, Sikkim and the National Capital Territory of Delhi and have decided to notify the annexed common lists in respect of these three States and one Union Territory for inclusion in the Central List of OBCs in the

**ANNEXURE**

Central List of Other Backward Classes (OBCs) in the following three States and one Union Territory:

1. Jammu and Kashmir.
2. Manipur,
3. Sikkim,
4. The National Capital Territory of Delhi.

**STATE : JAMMU AND KASHMIR : COMMON LIST OF OBCs.**

Sl. No.	Name of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in State list	Fr
(1)	(2)	(3)	
1.	Bahach Hanjie and Shikara Wallas (excluding house-boat owners).	1	
2.	Bangi, Bhaogi, Khaakrob. } (Sweepers), } (excluding those in Sch. Caste)	7	
3.	Barbers (Rural only)	8	
4.	Bhand	10	
5.	Dambali Faqir	14	
6.	Doom (excluding those in Sch. Caste)	15	
7.	Fishermen including Gada Hanz.	2	
8.	Grati (Rural only)	20	
9.	Jheewar	19	
10.	Kulfaqir	13	
11.	Kumhar, Kumahar (Village Potters)	4	
12.	Madari, Bazigar	12	
13.	Mirasi	11	
14.	Sansi	17	
15.	Shaksaz.	5	
16.	Shoe-repairers (working without the aid of machines)	6	
17.	Shupri Wattal (excluding those in Sch. Caste).	16	
18.	Sikligar.	18	
19.	Teeli, Teli (Rural only)	21	
20.	Village Washermen.	9	

भारत का संवत्सः संसाधारण

संख 1]

STATE : MANIPUR COMMON LIST OF OBCs

Names of castes/Communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in the State list of OBCs	Entry No. in Mandal list	
(2)	(3)	(4)	
Nepali), Nepali), Nepali), Nepali), Nepali).	(who have been living in Manipur as members of the domiciled community since the 9th July, 1947, and their descendants).	4	2
		4	7
		4	10
		4	17
		4	41
Meitei Meetei (including Meitei Brahmin, Meitei Meitei Sanama hi, and Meitei Rajkumar).		30	
Meitei Pangal.	2	30	
Others (who have been domiciled in Manipur for 10 years, and their descendants).	3	47	

STATE : SIKKIM : COMMON LIST OF OBCs

Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs.	Entry No. in State list	Entry No. in Mandal list
(2)	(3)	(4)
Bhujel	i	1
Gurung	ii	2
Limboo (including Tsong, Subba, and Yakthungba	iii	3
	iii	9
	iii	6
	iii	10
4. Manger	v	4
5. Rai	iv	5
6. Sunuwar (including Koincha/Mukhia)	vi	7
7. Tamang.	vii	8

UT : N.C.T. OF DELHI : COMMON LIST OF OBCs.

Sl. No.	Names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) in the common list of OBCs	Entry No. in the UT list	Entry No. in the Mandal list
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Abbasi,	1	1
	Bhishti,	1	1
	Sakka	1	1
2.	Agri,	2	2
	Kharwal	2	2
3.	Ahir,	3	3
	Yadav,	3	3
	Gwala	3	3

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Arain.	4	4
	Rayee,	4	4
	Kunjra	4	4
5.	Badhai,	5	5
	Barhai,	5	5
	Khati,	5	5
	Tarkhan,	5	5
	Jangra-Brahmin,	5	5
	Vishwakarma	5	5
6.	Badi	6	6
7.	Bairagi	7	7
8.	Bairwa,	8	8
	Berwa	8	8
9.	Barai,	9	10
	Bari,	9	11
	Tamboli	9	10
10.	Bauria/Bawria (excluding those in Sch. Caste).	10	12
11.	Bazigar,	11	13
	Nat.	11	13
	Kalandar	13	13
			(excluding those in Sch. Caste).
12.	Bharbhooja	12	16
13.	Bhat	13	17
14.	Bhatiara	14	18
15.	Chak	15	19
16.	Chippi,	16	21
	Tonk,	16	21
	Darzi	16	26
17.	Dakaut,	17	25
	Prade	17	25
18.	Dhinwar,	18	27
	Jhinwar,	18	27
	Nishad,	18	27
	Kewat/Mallah (excluding those in Sch. Caste),	18	52
	Kahar,	18	43
	Kashyap (non-Brahmin)	18	43
19.	Dhobi (excluding those in Sch. Caste)	19	23
20.	Dhuni	20	23
	Pinjar	20	23
	Kanders-Karan,	20	23
	Dhunnewala	20	23
21.	Fakir	21	23
22.	Gadaria,	22	23
	Gadheri,	22	23
	Gaddi,	22	23
	Garri	22	23
23.	Ghasiara,	23	23
	Ghosi	23	23
24.	Gujar,	24	23
	Gurjar	24	23
25.	Jogi,	25	23
	Goswami	25	23
26.	Juaha (excluding those in Sch. Caste).	26	23
27.	Kachhi,	27	23
	Koeri,	27	23
	Murai,	27	23
	Murso	27	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)
28.	Kasai, Qassab, Quraishi	28	49	38.	Mali, Saini, Southia, Sagarwanshi-Mali, Nayak	38
29.	Kasera, Tamera, Thathiar	28	49	39.	Memar, Raj	38
39.	Khatgune	29	50	40.	Mina/Meena	38
31.	Khatik (excluding those in Sch. Caste).	29	50	41.	Merasi, Mirasi	39
32.	Kumhar, Prajapati	30	53	42.	Mochi (excluding those in Sch. Caste).	39
33.	Kurmi	31	54		Nai, Hajjam, Nai (Sabita)	40
34.	Lakhera, Manihar	32	55	44.	Nalband	41
35.	Lodhi, Lodha, Lodh, Maha-Lodh	32	55	45.	Naqqal	41
36.	Luhar, Bhubhalia	33	56	46.	Pakhiwara	42
37.	Machi, Machbera	34	58	47.	Patwa	43
		34	58	48.	Pathar Chera, Sangtarash	43
		35	59	49.	Rangrez	44
		35	59	50.	Sunar	45
		35	59	51.	Teli	46
		36	60			47
		36	60			48
		37	61			48
		37	61			49
						51
						52